CRIMINAL PROCEDURE CODE 1973

Level — Hard

1. A criminal case was filed against the accused Under Section 307 IPC. A final report Under Section 173(2) of CrPC was filed and its was submitted that no offence was found to have been committed by the accused. The Magistrate rejected the closure report and issued direction, directing the police to file charge-sheet-
   (a) The order passed by the Magistrate is not legally valid
   (b) The Magistrate is empowered to pass such order Under Section 156(3) CrPC
   (c) The Magistrate is empowered to pass such order Under Section 173(8) CrPC
   (d) The Magistrate can pass such order Under Section 190(1)(b)

1. आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत एक फाइनल रिपोर्ट दायर की गई थी और यह प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था। मजिस्ट्रेट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश दिया-
   (ए) मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है
   (बी) मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार है
   (सी) मजिस्ट्रेट को सीआरपीसी की धारा 173 (8) के तहत ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार है
   (डी) मजिस्ट्रेट धारा 190 (1) (बी) के तहत ऐसा आदेश पारित कर सकता है

2. If the magistrate or court finds that prima facie case is made out against the accused and he is incapable of entering defence by reason of mental retardation-
   (a) The magistrate or court shall not hold that trial
   (b) The magistrate or court shall order the accused to be dealt with in according with section 330 of the CrPC
   (c) The Magistrate or court shall order release of such person on bail
   (d) All of the above

2. यदि मजिस्ट्रेट या अदालत को पता चलता है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है और वह मानसिक मंदता के कारण बचाव में प्रवेश करने में असमर्थ है-
   (ए) मजिस्ट्रेट या अदालत उस मुकदमे का आयोजन नहीं करेगी
   (बी) मजिस्ट्रेट या अदालत आरोपी को सीआरपीसी की धारा 330 के अनुसार निपटाए जाने का आदेश देगी
   (सी) मजिस्ट्रेट या अदालत ऐसे व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश देगा
   (डी) उपरोक्त सभी

3. The jurisdiction conferred on the Magistrate by the section 125 CrPC is-
   (a) Preventive
   (b) Remedial
   (c) More preventive than remedial
   (d) More remedial than preventive

3. सीआरपीसी की धारा 125 द्वारा मजिस्ट्रेट को प्रदत्त क्षेत्राधिकार है-
   (ए) निवारक
   (बी) उपचारात्मक
   (सी) उपचारात्मक से अधिक निवारक
   (डी) निवारक से अधिक उपचारात्मक

4. Statement recorded by a police officer under Section 161 CrPC-
   (a) Is inadmissible in evidence
   (b) Cannot be used for the purpose of corroboration
   (c) Can be used for the purposes of contradiction
   (d) All of the above

www.linkinglaws.com

4. सीआरपीसी की धारा 161 के तहत एक पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज बयान-
(ए) सबूत में अस्वीकार्य है
(बी) पुष्टि के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
(सी) विरोधाभास के प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है
(डी) उपरोक्त सभी

5. Where a Magistrate pass order stopping investigation Under Section 167(5) CrPC, such an order-
(a) May be vacated by the Session Judge
(b) May be vacated by the Session Judge, only in case of non-bailable offence
(c) Shall not be vacated by any other court of law
(d) Both (a) and (b)

5. जहां एक मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 167(5) के तहत जांच रोकने का आदेश पारित करता है, ऐसा आदेश-
(ए) सत्र न्यायाधीश द्वारा रद्द किया जा सकता है
(बी) केवल गैर-जमानती अपराध के मामले में सत्र न्यायाधीश द्वारा रद्द किया जा सकता है
(सी) किसी अन्य न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जाएगा
(डी) दोनों (ए) और (बी)

6. A is accused of theft of certain article at a certain time and place, Here-
(a) It is necessary to set out in the charge the manner in which the theft was affected
(b) By virtue of section 213, a charge must include the manner in which the offence was committed, it is mandatory
(c) Both (a) and (b)
(d) Neither (a) nor (b)

6. 'क' पर एक निश्चित समय और स्थान पर विशेष वस्तु की चोरी का आरोप है, यहाँ-
(ए) प्रभारी को यह बताना आवश्यक है कि चोरी किस तरह से प्रभावित हुई थी
(बी) धारा 213 के आधार पर, एक शुल्क में वह तरीका शामिल होना चाहिए जिसमें अपराध किया गया था, यह अनिवार्य है
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) न तो (ए) और न ही (बी)

7. Under Section 311 of CrPC, a witness can be called-
(a) On the motion of prosecution
(b) On the motion of the defence
(c) On its own motion by the court
(d) All of the above

7. सीआरपीसी की धारा 311 के तहत गवाह को बुलाया जा सकता है-
(ए) अभियोजन के प्रस्ताव पर
(बी) बचाव के प्रस्ताव पर
(सी) अदालत द्वारा अपने स्वयं के प्रस्ताव पर
(D) उपरोक्त सभी

8. Section 162 of CrPC-
(a) Contain the right of accused to cross-examine the witness in the manner provided in the section itself
(b) Enables the prosecution to re-examine the witness to explain the matters referred to in the cross-examination
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above

8. सीआरपीसी की धारा 162-
(ए) आरोपी को गवाह से जिरह करने का अधिकार इस तरह से है अनुभाग में ही प्रदान किया गया
(बी) अभियोजन पक्ष को मामलों की स्पष्टीकरण करने के लिए गवाह की फिर से जांच करने में सक्षम बनाता है जिरह में उल्लिखित
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

www.linkinglaws.com

9. A confession recorded by the Magistrate under chapter XII of the CrPC, or under any other law for the time being in force shall presume to be genuine under Section-
(a) 164 CrPC
(b) 281 CrPC
(c) 80 IEA
(d) None of the above

9. सीआरपीसी के अध्याय XII के तहत या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई स्वीकारोक्ति को धारा के तहत वास्तविक माना जाएगा -
(ए) 164 सीआरपीसी
(बी) 281 सीआरपीसी
(सी) 80 IEA
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

10. An intentional omission to an order made Under Section 160 CrPC, by the police officer will make the person liable under-
(a) Section 174 IPC
(b) Section 175 IPC
(c) Section 188 IPC
(d) All of the above

10. पुलिस अधिकारी द्वारा सीआरपीसी की धारा 160 के तहत किए गए आदेश में जानबूझकर चूक करने पर व्यक्ति को इसके तहत उत्तरदायी बनाया जाएगा -
(ए) धारा 174 आईपीसी
(बी) धारा 175 आईपीसी
(सी) धारा 188 आईपीसी
(D) उपरोक्त सभी

11. Under Section 156(3) CrPC magistrate can make an order of-
(a) Investigation of a case
(b) Registration of a case
(c) Both (a) and (b)
(d) Investigation or inquiry (by himself) of a case

11. सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है-
(ए) एक मामले की जांच
(बी) एक मामले का पंजीकरण
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) किसी मामले की जांच या जांच (स्वयं द्वारा)

12. Every activity which occurs in a police station is entered in a diary maintained at the police station-
(a) Station diary
(b) Daily diary
(c) General diary
(d) All of the above

12. पुलिस थाने में होने वाली प्रत्येक गतिविधि को थाने में रखी गई डायरी में दर्ज किया जाता है-
(ए) स्टेशन डायरी
(बी) दैनिक डायरी
(सी) सामान्य डायरी
(D) उपरोक्त सभी

13. In which of the following cases the Supreme Court directed to upload online copy of FIR within 24 hours of lodging?
(a) Youth Bar Association of India v. Union of India
(b) D.K. Basu v. State of West Bengal
(c) Jitender Kumar v. State of Haryana
(d) Joginder Kumar v. State of U.P.

13. निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने दर्ज करने के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी की ऑनलाइन कॉपी अपलोड करने का निर्देश दिया है?
(ए) यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया
(बी) डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य
(सी) जितेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य
(डी) जोगिंदर कुमार बनाम यू.पी. राज्य

www.linkinglaws.com

14. I — Court can issue warrant of arrest in substitution of summon.
II — Warrant of arrest cannot be issued in addition to summon.
(a) Both I and II are correct
(b) I is correct, but II is incorrect
(c) II is correct and I is incorrect
(d) I is correct and II is correct explanation of I

14. I- न्यायालय समन के स्थान पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है
II- गिरफ्तारी का वारंट समन के अलावा जारी नहीं किया जा सकता
(ए) I और II दोनों सही हैं
(बी) I सही है, लेकिन II गलत है
(सी) II सही है और मैं गलत है
(डी) I सही है और II, I की सही स्पष्टीकरण है

15. In term of provisions of code of criminal procedure, the power to recall any witness can be exercised-
(a) Before the evidence of prosecution is closed if the witness is to be called on the motion of the prosecution.
(b) Even after the evidence of both sides is closed.
(c) Even after the evidence of prosecution is closed.
(d) None of the above

15. आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत, किसी भी गवाह को वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है-
(ए) अभियोजन पक्ष के सबूत बंद होने से पहले अगर गवाह को बुलाया जाना है अभियोजन के प्रस्ताव पर
(बी) दोनों पक्षों के साक्ष्य बंद होने के बाद भी
(सी) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य बंद होने के बाद भी
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

16. A was travelling from Delhi to Mumbai by train. During the night his luggage was stolen. The theft is discovered at Mumbai. B is caught with the stolen luggage at Jaipur. Where B can be tried for theft-
(a) Delhi
(b) Jaipur
(c) Mumbai
(d) At any place through or into whose local jurisdiction that thing or person passed in the course of the journey

16. 'A' ट्रेन से दिल्ली से मुंबई की यात्रा कर रहा है। रात के दौरान उसका सामान चुराया हुआ, मुंबई में चोरी का पता चला है।'B' चोरी के सामान के साथ जयपुर में पकड़ा गया। चोरी के लिए 'B' का विचारण कहाँ की जा सकती है?
(ए) दिल्ली
(बी) जयपुर
(सी) मुंबई
(डी) किसी भी स्थान पर या जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में वह चीज या व्यक्ति यात्रा के दौरान पारित

17. A magistrate could make an ex-parte order in case of public nuisance-
(a) While he is making a conditional order
(b) While he is making a final order
(c) Both (a) and (b)
(d) Neither (a) nor (b)

17. न्यूसेंस के मामले में एक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय आदेश दे सकता है-
(ए) जबकि वह एक सशर्त आदेश दे रहा है
(बी) जब वह अंतिम आदेश दे रहा हो
(सी) दोनों (ए) और (बी)
(डी) न तो (ए) और न ही (बी)

18. After taking cognizance, complaint can be send to the police for investigation-
(a) Under Section 156(3) CrPC
(b) Under Section 202(1) CrPC
(c) Under Section 200 CrPC
(d) Either (a) or (b)

18. शिकायत का संज्ञान लेने के बाद पुलिस को भेजा जा सकता है-
(ए) सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत
(बी) धारा 202(1) सीआरपीसी के तहत
(सी) धारा 200 सीआरपीसी के तहत
(डी) या तो (ए) या (बी)

19. 'A', a complainant in a warrant case (for an offence of theft), does not appear on the date of hearing. The Magistrate acquits the accused-
(a) The order acquittal is legally valid Under Section 248 CrPC
(b) The acquittal order is legally valid Under Section 249 CrPC
(c) The acquittal order is illegal
(d) The acquittal order is legally valid Under Section 250 CrPC

19. 'ए', एक शिकायत, एक वारंट मामले में (चोरी के अपराध के लिए), सुनवाई की तिथि पर प्रकट नहीं होता है, सुनवाई की तिथि मजिस्ट्रेट ने आरोपी को बरी कर दिया।
(ए) आदेश बरी करने का आदेश सीआरपीसी की धारा 248 के तहत कानूनी रूप से मान्य है
(बी) बरी करने का आदेश सीआरपीसी की धारा 249 के तहत कानूनी रूप से मान्य है
(सी) बरी करने का आदेश अवैध है
(डी) बरी करने का आदेश सीआरपीसी की धारा 250 के तहत कानूनी रूप से मान्य है

20. To invoke section 167(1) CrPC it is necessary that arrest should have been effected by-
(a) A police officer
(b) An officer empowered to arrest under any other law (special act)
(c) A police officer or magistrate
(d) Either (a) or (b)

20. सीआरपीसी की धारा 167(1) लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए द्वारा प्रभावी-
(ए) एक पुलिस अधिकारी
(बी) किसी अन्य कानून (विशेष अधिनियम) के तहत गिरफ्तार करने का अधिकार एक अधिकारी
(सी) एक पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट
(डी) या तो (ए) या (बी)

21. A case can be committed to the court of session by a magistrate under
(a) Section 209 of CrPC
(b) Section 323 of CrPC
(c) Section 324 of CrPC
(d) Both (a) and (b)

21. एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया जा सकता है-
(ए) सीआरपीसी की धारा 209
(बी) सीआरपीसी की धारा 323
(सी) सीआरपीसी की धारा 324
(डी) दोनों (ए) और (बी)

22. If a Magistrate after hearing the evidence for the prosecution and the accused, is of opinion that the accused is guilty and ought to receive a more severe punishment than, that which he is empowered to inflict-
(a) He can submit the proceedings to the Chief Judicial Magistrate Under Section 325 CrPC
(b) He can submit the proceedings to the High Court for proper sentencing
(c) He can submit the proceedings to the Chief Judicial Magistrate or the Session Court, as the case may be Under Section 325 and 326 CrPC respectively.
(d) The Magistrate can only inflict 3 years punishment, as there is no such provision of submission in CrPC

22. यदि एक मजिस्ट्रेट अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को सुनने के बाद और अभियुक्त की राय है कि अभियुक्त दोषी है और उसे उस से अधिक कठोर दंड प्राप्त करना चाहिए जो उसे देने के लिए सशक्त है-
(ए) वह धारा 325 सीआरपीसी के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है
(बी) वह उचित सजा के लिए उच्च न्यायालय में कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है

www.linkinglaws.com

(सी) वह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय, जैसा भी मामला हो, क्रमशः धारा 325 और 326 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही प्रस्तुत कर सकता है।

(डी) मजिस्ट्रेट केवल 3 साल की सजा दे सकता है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है सीआरपीसी में जमा करने का प्रावधान

23. Section 401 of the CrPC-
I – allow the court to pardon the convict
II – is only applicable to high court
III – Allows the court to convert finding of acquittal into conviction
IV – Does not allow the court to act suo moto
(a) II and III are correct
(b) I and II are correct
(c) I and IV are correct
(d) III and IV are correct

23. सीआरपीसी की धारा 401-
I - अदालत को दोषी को क्षमा करने की अनुमति देता हूं
II - केवल उच्च न्यायालय के लिए लागू है
III - न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि में बदलने की अनुमति देता है
IV - अदालत को स्वत: संज्ञान लेने की अनुमति नहीं देता है
(ए) II और III सही हैं
(बी) I और II सही हैं
(सी) I और IV सही हैं
(डी) III और IV सही हैं

24. When and in what circumstances a Judicial Magistrate of First Class can add a person as accused in a criminal case-
(a) After taking cognizance of the case and before framing a charge
(b) During the course of an inquiry or trial when it appears from the evidence
(c) After framing of the charge and before the trial is commenced
(d) None of the above

24. प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट कब और किन परिस्थितियों में एक आपराधिक मामले में आरोपी के रूप में व्यक्ति को जोड़ सकता है?
(ए) मामले का संज्ञान लेने के बाद और आरोप तय करने से पहले
(बी) परीक्षण के लिए एक जांच के दौरान जब यह सबूत से प्रकट होता है
(सी) आरोप तय होने के बाद और परीक्षण शुरू होने से पहले
(डी) उपरोक्त में से कोई नहीं

25. Right to default bail pre-conditioned upon-
(a) Non-filing of charge sheet
(b) Discretion of the court
(c) Antecedent of the accused
(d) Nature and gravity of the offence

25. डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार की पूर्व शर्त-
(ए) चार्जशीट दाखिल न करना
(बी) अदालत का विवेक
(सी) आरोपी का पूर्ववृत्त
(डी) अपराध की प्रकृति और गंभीरता

www.linkinglaws.com